संख्या- 28/2022/1170ई-2/तेरह-2022-374/98-1632649

प्रेषक,

राजवीर सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ.दिनांक 22 जून, 2022

विषय- मे. बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि., पलिया आसवनी, जनपद लखीमपुर खीरी को स्वीकृत पेय क्षमता को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-131/दो-प्रा.डी.-77, दिनांक 09-02-2022 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 14-06-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:-1150 ई-2/तेरह-2022-1586807, दिनांक 20-06-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09-02-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि., पलिया आसवनी, जनपद लखीमपुर खीरी को स्वीकृत सम्पूर्ण पेय क्षमता को पेय मदिरा निर्माण नही किये जाने के कारण पेय क्षमता के कारण अवरूद्ध क्षमता को पेट्रोलियम डिपो को एथनॉल की आपूर्ति किये जाने के उद्देश्य से समाप्त किये जाने तथा आसवनी की सम्पूर्ण क्षमता 180 लाख ब.ली. वार्षिक को औद्योगिक किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ की प्रदान की जाती है कि आसवनी द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) इकाई द्वारा गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवा संशोधन) नियमावली, 2020 में उल्लिखित नियमों व शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही से पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in